भाग 1
प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर द्वितीय वाराणसी क्रम संख्या 2018350013257

आवेदन संख्या : 201800906021534

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2018-06-15 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम सुभाष कुमार यादव

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 10000 / 0

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 200

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 80

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 280

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2018-06-15 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2018-06-15 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

गैर न्यायिक

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

15 JUN 2018

EE 852326

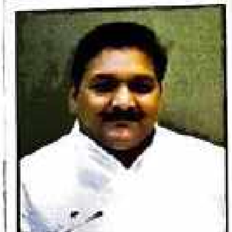

न्यास विलेख

यह न्यास विलेख आज दिनांक **15.06.2018 ई0** को **सुभाष कुमार यादव** पुत्र श्री हवलदार यादव निवासी ग्राम कपिसा, पोस्ट दानगंज, परगना सुल्तानीपुर, तहसील व जिला वाराणसी **(मो.नं0 8400841111, पेशा–व्यापार)**, जिन्हे आगे न्यासकर्ता कहा गया है, द्वारा घोषित किया गया है। न्यासकर्ता ने स्वस्थ्य समाज के निर्माण हेतु एवं जाति, धर्म व लिंग भेद के बिना समाज के सम्पूर्ण हित व विकास के उद्देश्य से धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, साहित्य, सामाजिक कार्य एवं समाज सेवा के प्रोत्साहन के लिये एक ट्रस्ट निर्मित व स्थापित करने का निश्चय किया। उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए ट्रस्ट के प्रारंभिक धनराशि के रूप में मुबलिग 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) नकद ट्रस्ट को दान करने का निश्चय किया है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक एवं वांछनीय है कि ट्रस्ट के निर्माण को घोषित करके उद्देश्यों व संविधान को कलमबद्ध कर दिया जाय। अतः न्यासकर्ता द्वारा ऊपर वर्णित प्रस्तावित ट्रस्ट को गठित करके ट्रस्ट के निर्माण की निम्नलिखित विवरण व संविधान व नियमावलियों को कलमबद्ध किया गया और इस सम्बन्ध में दिनांक 09.02.2015 ई0 को एक पंजीकृत न्यास विलेख तहरीर

3124
15-6-18
100) सुभाष कुमार यादव
कचहरी, वाराणसी

[illegible] स्टाम्प विक्रेता
[illegible] कचहरी-वाराणसी.
[illegible] 16/24

सब रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी-जिला-वाराणसी
सत्य मेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 578599

किया जा चुका है, लेकिन उसमें कुछ उद्देश्य छुट जाने के कारण उन्हें बढ़ाया गया है तथा यह नवीन ट्रस्ट विलेख पुनः तैयार कराया जा रहा हैः–

1.	ट्रस्ट का नाम	– श्री साई सेवा फाउण्डेशन
2.	ट्रस्ट की प्रकृति	– दातव्य एवं धार्मिक व शैक्षिक
3.	ट्रस्ट की पंजीकृत कार्यालय	ग्राम कपिसा, पोस्ट दानगंज, जिला वाराणसी
4.	ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र	– ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र भारत वर्ष की सीमा के अन्तर्गत मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा।
5.	ट्रस्ट के उद्देश्य	– (क) समाज के शैक्षणिक व आध्यात्मिक उत्थान के उद्देश्य से धार्मिक व आध्यात्मिक क्रिया कलापों को सम्पन्न करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों, मंदिरों व धर्मस्थलों का निर्माण व संचालन (ख) आधुनिक व परम्परागत शिक्षा में सामंजस्य के उद्देश्य से देश में संचालित किसी भी बोर्ड जैसे यू0पी0 बोर्ड, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 इत्यादि से मान्यता प्राप्त करके विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना तथा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षा केन्द्रों इत्यादि की स्थापना, संचालन एवं व्यवस्था। (ग) पीड़ित मानवता की देश में उपलब्ध संसाधनों से निवारण हेतु केन्द्रों की स्थापना व विकास (घ) साधुओं, सन्यासियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अनाथ बच्चों, विधवाओं व वृद्धों के आश्रय व कल्याण के उद्देश्य से

3128
15-6-18
सुभाष कुमार यादव
कपिसा, वाराणसी

लाल स्टाम्प विक्रेता
कचहरी वाराणसी
नं०-16/24

न्यास पत्र

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 280

श्री सुभाष कुमार यादव ,
पुत्र श्री हवलदार यादव
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: ग्राम कपिसा, पोस्ट दानगंज, परगना सुल्तानीपुर, तहसील व जिला वाराणसी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 15/06/2018 एवं 03:05:48 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के ह

अरविन्द कुमार सिंह (प्रभ
उप निबंधक :सदर द्वित
वाराणसी

उप निबंधक रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी-जिला-वाराणसी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 578600

कल्याण केन्द्रों व आश्रय स्थलों का निर्माण संचालन एवं व्यवस्था

(ङ) गरीब व जरूरतमंद वर्गों के उत्थान व शिक्षा के प्रसार हेतु गरीब व जरूरतमंद विद्यार्थियों को फीस, छात्रवृत्ति, पुस्तकों व अन्य सहायता प्रदान करना

(च) गरीब व जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क या आंशिक शुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अस्पतालों व दवाखाना की स्थापना, संचालन व व्यवस्था एवं इस प्रकार के उद्देश्यों से पूर्व से ही संचालित संस्थाओं की आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(छ) समाज के जरूरतमंद लोगों, विशेष रूप से महिलाओं की सहायता व स्व रोजगार प्राप्त करने व उत्थान के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, वित्तिय सहायता संस्थाओं की स्थापना, संचालन व व्यवस्था करना।

(ज) विकलांगों, मंदबुद्धि के बच्चों, गूंगे, बहरों व अन्धे बच्चों की शिक्षा व सक्षमता के विकास के लिये विशेष विद्यालयों, महाविद्यालयों, केन्द्रों की स्थापना, संचालन व व्यवस्था करना तथा इस प्रकार की संस्थाओं के संचालन में सहायता प्रदान करना।

(झ) संक्रामक रोगों व इनके सम्बन्ध में समाज में व्याप्त अंधविश्वास के उन्मूलन हेतु जन सामान्य के बीच जागरूकता कार्यक्रम का अभियान चलाना।

3126
15-6-18
50/ सुभाष कुमार यादव
कपिसा, वाराणसी

लाल स्टाम्प विक्रेता
कचहरी-वाराणसी
ला०नं०-16/24

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री सुभाष कुमार यादव, पुत्र श्री हवलदार यादव

निवासी: ग्राम कपिसा, पोस्ट दानगंज, परगना सुल्तानीपुर, तहसील व जिला वाराणसी

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री रविन्द्र नाथ, पुत्र श्री देवनाथ

निवासी: ए–5/34, मुकीमगंज, वाराणसी

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

श्री ... यादव, पुत्र श्री तिल्लू यादव

निवासी: ग्राम बिसपुर, केराकत, जिला जौनपुर

व्यवसाय: व्यापार

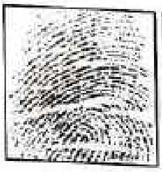

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरविन्द कुमार सिंह (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर द्वितीय
वाराणसी

उप रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी जिला-वाराणसी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 578601

(ञ) समाज में नशा उन्मूलन के उद्देश्य से पुनर्वास केन्द्रों व सुधार केन्द्रों की स्थापना, संचालन व व्यवस्था करना।

(ट) सामान्य जन में हिन्दू संस्कृति व वैदिक धर्म के आदर्शों व सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न करके व्याप्त कुरीतियों व अन्धविश्वासों का उन्मूलन।

(ठ) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में पीड़ित लोगों की सहायता के लिये कार्य करना।

(ड़) पर्यावरण व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा इस हेतु जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करना।

(ढ) ट्रस्ट के समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यरत संस्थाओं को सहायता व सहयोग प्रदान करना तथा इस प्रकार की संस्थाओं से सहायता व सहयोग प्राप्त करना।

(ण) ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्रचार–प्रसार व प्रोत्साहन के लिये पुस्तकों व हैण्डबिल, ब्रोसर, रेकर्ड्स, आडियो व विडियो कैसेट्स व सी0डी0 का मुद्रण व प्रकाशन करना।

(त) जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन व क्रियान्वयन करना।

(थ) विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना एवं विधवा व निर्धन महिलाओं के विवाह हेतु हर प्रकार की सहायता प्रदान करना एवं अपव्यय को रोकने हेतु सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करना तथा उसका आयोजन करना।

3109
25-6-18

50/ सुभाष कुमार यादव
अधिवक्ता, वाराणसी

[illegible] शंकर लाल स्टाम्प विक्रेता
[illegible] कचहरी-वाराणसी
ला० नं०-16/24

[illegible] रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी-जिला-वाराणसी
सत्य मेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 578602

(द) पारम्परिक कृषि साधनों का विकास करके भूमि व जल संरक्षण के प्रति जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु गोष्ठियों व कार्यक्रमों का आयोजन करना।

6. ट्रस्ट की सम्पत्तियां – (क) ट्रस्टकर्ता द्वारा प्रदत्त क्रेन्द्रीय प्रारंभिक धनराशि मु0 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) की धनराशि एवम्

(ख) ट्रस्ट द्वारा क्रय की गयी या पट्टे पर या किराये पर या अन्य किसी भी अन्य प्रकार से प्राप्त की गयी चल व अचल सम्पत्तियॉं, एवम्

(ग) ट्रस्ट द्वारा स्वीकार की गयी स्वैच्छिक दान, उपहार, अनुदान में प्राप्त धनराशि व वस्तुएँ, एवम्

(घ) सरकार व सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों या संस्थाओं व समितियो इत्यादि द्वारा ट्रस्ट को प्राप्त अनुदान व सहयोग धनराशि एवम्

(ड.) ट्रस्ट के कोष में हुई समस्त वृद्धियां व प्राप्तियां, ट्रस्ट की सम्पत्तियां होगी।

7. ट्रस्ट मंडल – – ट्रस्ट के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निम्न व्यक्तियों का ट्रस्ट मंडल बनाया गया है।

1. श्री हवलदार यादव पुत्र श्री रामकरन निवासी ग्राम कपिसा, पोस्ट दानगंज, जिला वाराणसी (संरक्षक)
2. श्रीमती फूलदेई पत्नी श्री हवलदार यादव निवासी ग्राम कपिसा, पोस्ट दानगंज, जिला वाराणसी (संरक्षक)
3. जीत नरायन यादव पुत्र श्री हवलदार यादव निवासी ग्राम

3128

15-6-18

50/ सुभाष कुमार यादव

अपिसा, वाराणसी

शंकर लाल स्टाम्प विक्रेता
कचहरी वाराणसी
ला० नं० 16/24

सब रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी-जिला-वाराणसी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 578603

कपिसा, पोस्ट दानगंज, जिला वाराणसी (अध्यक्ष)

4. मितेन्द्र पुत्र श्री हवलदार यादव निवासी ग्राम कपिसा, पोस्ट दानगंज, जिला वाराणसी (सचिव / प्रबन्धक)
5. सुभाष कुमार यादव पुत्र श्री हवलदार यादव निवासी ग्राम कपिसा, पोस्ट दानगंज, जिला वाराणसी (ट्रस्टकर्ता / मैनेजिंग ट्रस्टी)

8. ट्रस्टी की नियुक्ति – ट्रस्ट मण्डल में रिक्त स्थान की पूर्ति शेष ट्रस्टीगण द्वारा बहुमत के आधार पर योग्य व्यक्ति का चुनाव करके किया जायेगा। विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी का होगा। ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों की संख्या तीन से कम व नौ से अधिक नहीं होगी। कोई व्यक्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नकद धनराशि या वस्तु के रूप में योगदान करेगा, उसे मानद सदस्य ट्रस्ट नियुक्त किया जा सकता है।

9. ट्रस्टी के कार्यकाल की समाप्ति – कोई भी वर्तमान ट्रस्टी उस समय ट्रस्टी नहीं रह जायेगा जब :–

(क) वह त्याग पत्र देवे।
(ख) वह दीवालिया घोषित कर दिया जाय।
(ग) उसकी क्रिया कलाप ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरित या–ट्रस्ट के लिए क्षतिकारक पाये जाने के कारण वह मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा हटा दिया जाय।

10. ट्रस्ट मंडल की बैठक – क अध्यक्ष ट्रस्ट मंडल की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा।

3180

15-6-18

S/o सुभाष कुमार [illegible]

[illegible], वाराणसी

[illegible] शंकर लाल स्टाम्प विक्रेता
[illegible] कचहरी-वाराणसी
ला० नं० 16/24

उपनिबंधक सदर रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी-जिला-वाराणसी उत्तर प्रदेश
सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 578604

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मैंनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष व मैंनेजिंग ट्रस्टी दोनो की अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित ट्रस्टी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

ख ट्रस्ट मंडल की बैठक मैनेजिंग ट्रस्टी के निर्देश पर आयोजित की जायेगी जिसका संयोजक मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति होगा।

ग ट्रस्ट मंडल की बैठक का कोरम कुल सदस्यों के आधे से ज्यादा सदस्यों के होने पर पूर्ण माना जायेगा।

घ मानद् सदस्य ट्रस्ट मण्डल की बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उन्हें कोरम या मतदान में शामिल नहीं किया जायेगा।

ङ. ट्रस्ट मंडल की बैठक में किसी प्रस्ताव पर समान मत होने की स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी को अतिरिक्त मत का अधिकार होगा एवं मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय अंतिम होगा।

11. मैनेजिगं ट्रस्टी के अधिकार – मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के कार्यो व क्रियाकलापों को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए निम्नलिखित अधिकारों का उपयोग करेगा।

क मैनेजिंग ट्रस्टी समय समय पर ट्रस्ट मंडल की बैठक बुलाकर ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा करेगा और ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उचित समझने पर ट्रस्ट के कोष से उक्त कार्य के लिए धन अवमुक्त करेगा।

3130
15-6-18

59) सुभाष कुमार यादव
कचहरी, वाराणसी

उमा शंकर लाल स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कचहरी वाराणसी
3/10/24

...वाराणसी-जिला-वाराणसी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 578605

ख ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति या ट्रस्ट की आय में वृद्धि के लिए मैनेजिग ट्रस्टी कोई भी अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के लिए अधिग्रहण करेगा या क्रय करेगा।

ग ट्रस्ट के हितों व आय के लिए ट्रस्ट की किसी अचल सम्पत्ति का मैनेजिग ट्रस्टी विक्रय करेगा।

घ मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के प्रशासन व उद्देश्यों को दृष्टिगत अपने स्वविवेकानुसार आवश्यक सभी खर्चों को ट्रस्ट के कोष से करेगा।

ड़ मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट मण्डल की राय से आवश्यकतानुसार एक या एक से ज्यादा राष्ट्रीयकृत बैंको में ट्रस्ट का खाता खोलेगा और ट्रस्ट के आय की धनराशि उन खातों में जमा करेगा।

च मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट मंडल की सलाह से बैंक सरकारी व अर्धसरकारी संस्थानों से ट्रस्ट की तरफ से ट्रस्ट के कार्यों व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त कर सकेगा जिसकी वापसी ट्रस्ट के संसाधनों व आय से की जायेगी।

ज मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पन्न होने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

झ मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए तदर्थ समितियों की स्थापना आवश्यकतानुसार करेगा।

ट ट्रस्ट मंडल द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग

3131
15-6-18

S/o [illegible] कुमार यादव
[illegible], वाराणसी

[illegible] शंकर लाल स्टाम्प विक्रेता
[illegible] कचहरी-वाराणसी
[illegible]-16/24

[illegible] सब रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी-जिला-वाराणसी उत्तर प्रदेश
सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 578606

ट्रस्टी की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य व अंतिम होगा।

ठ ट्रस्ट मंडल उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

ड़ ट्रस्ट के कार्यकलापों के सुचारू संचालन के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी पावर ऑफ एटार्नी द्वारा किसी एक ट्रस्टी को अपने सभी या कुछ अधिकारों का हस्तान्तरण कर सकता है, जो कि इच्छित/वर्णित समय के बाद समाप्त हो जायेंगे, फिर भी मैनेजिंग ट्रस्टी का विशेषाधिकार बना रहेगा।

12. न्यास की पूर्ति हेतु अन्य उद्देश्य – क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।"

ख) विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा

3182
15-6-18

50/ शुभम कुमार पाण्डेय
कचहरी वाराणसी

शंकर लाल स्टाम्प विक्रेता
कचहरी-वाराणसी
16/24

सब रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी-जिला-वाराणसी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

भारत

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 578607

परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/ कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

ङ) संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

छ) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हां तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम एक से आठ तक स्वीकार है।

झ) उक्त प्रतिबन्ध एक से आठ तक बिना शासन की अनुमति से परिवर्तन व परिवर्द्धन संशोधन नहीं किया जायेगा।

13. मैनेजिग ट्रस्टी का विशेषाधिकार – मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत, किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा लिखे

3133

15-6-18

स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्री वाराणसी

रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 578608

गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त , स्वीकृत, अस्वीकृत या संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशानिर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य व स्वीकार होगा।

14. मैनेजिंग ट्रस्टी का उत्तराधिकारी – क मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्त्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी की व्यवस्था कर दे।

ख मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

ग किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्ट विलेख के मैनेजिंग ट्रस्टी को प्रदत्त किये गये हैं।

घ मैनेजिंग ट्रस्टी उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी की नियुक्ति अपने रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा सुनश्चित कर सकता है।

ड़– यदि मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी की नियुक्ति या रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा अपने बाद उत्तराधिकारी की व्यवस्था न क्रिया हो तो मैनेजिंग ट्रस्टी के बाद अगला मैनेजिंग ट्रस्टी उनके उत्तराधिकारियों में से एक वरिष्ठता क्रम में मैनेजिंग ट्रस्टी के परिवार का ही होगा।

15. बैंक एकाउन्ट– – ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में या बैंको में खोला जा सकेगा। जो खाता ट्रस्ट के नाम से होगा तथा

3134
15-6-18

S/o [illegible]

[illegible], वाराणसी

शंकर लाल स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कचहरी-वाराणसी
ला० नं०-16/24

द्वितीय वाराणसी-जिला
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत INDIA सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 578609

खाता मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा संचालित होगा।

16. विधिक कार्यवाही – यदि ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही होती है तो मैंनेजिंग ट्रस्टी एवं ट्रस्ट मण्डल की सलाह से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी हेतु किसी को अधिकृत किया जा सकता है।

17. लेखपत्रों का निष्पादन – ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के पक्ष में सभी लेखपत्रों व अभिलेखों का निष्पादन मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा।

18. प्रस्ताव – ट्रस्ट मंडल द्वारा इस ट्रस्ट डीड के अधीन पारित सभी प्रस्ताव मान्य व वाध्यकारी होगें।

19. ट्रस्ट का हिसाब – क मैनेजिंग ट्रस्टी की देखरेख में सचिव ट्रस्ट के कोष व धनराशि के सम्पूर्ण आय व व्यय एवं निवेशों का सही व शुद्ध हिसाब व लेख रखेंगे।

ख लेखा का वर्ष प्रत्येक वर्ष का 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष होगा।

20. ट्रस्ट मंडल ट्रस्ट की व्यवस्था व प्रशासन की सुचारू व्यवस्था के लिए समयानुसार नये नियम बना सकेगा तथा पुराने नियमों में संशोधन कर सकेगा।

21. मध्यस्थता – ट्रस्ट से सम्बन्धित मामलों व व्यवस्था में यदि ट्रस्टीगण के मध्य विवाद या गतिरोध की स्थिति में मामलो को मैनेजिंग ट्रस्टी के समक्ष मध्यस्थता हेतु सन्दर्भित किया जावेगा तथा मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व वाध्यकारी होगा।

31-38
15-6-18

S/o [illegible] कुमार यादव
[illegible], वाराणसी

[illegible] शंकर लाल स्टाम्प विक्रेता
[illegible] कचहरी वाराणसी
[illegible] 16/24

सब रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी जिला वाराणसी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये — FIFTY RUPEES

रु.50 — Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 578610

22.	अखंडनीयता	– ट्रस्ट अखंडनीय होगा।
23.	ट्रस्ट का विघटन	– ट्रस्ट के विघटन होने की स्थिति में ट्रस्ट की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियां समान उद्देश्य वाले अन्य ट्रस्ट या संगठन या समिति को हस्तान्तरित कर दी जायेगी।
24.	अवशिष्ट	– जो मामले इस ट्रस्ट विलेख में सम्मिलित नहीं है उनके सम्बन्ध में भारतीय न्यास अधिनियम एवं आयकर अधिनियम व इसके अधीन व निर्मित नियमों से संचालित होगें तथा ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत आता मान्य है।

अतः न्यासकर्ता ने उक्त न्यास विलेख रूबरू गवाहान कई बार पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर अपने हस्ताक्षर करके ट्रस्ट की घोषणा कर दिया कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम लाई जा सके।

तारीख तहरीर– 15.06.2018 ई0

साक्षीगण

01.

साक्षी का नामः रविन्द्र नाथ

पिता/पति का नामः देवनाथ

निवासी : ए-5/34 मुकीमगंज, वाराणसी

मोबाइल संख्या : 7525000573

पेशाः प्रा0 नौकरी

3136
15-6-18

S/o हनुमान कुमार यादव
कपिला, वाराणसी

शंकर लाल स्टाम्प विक्रेता
कचहरी-वाराणसी
लाइसेंस नं०-16/24

उप रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी-जिला-वाराणसी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 578611

02.

साक्षी का नामः उमेश यादव

पिता/पति का नामः तिल्लू यादव

निवासी : ग्राम बिसापुर, केराकत, जिला जौनपुर

मोबाइल संख्या : 7525000571

पेशाः व्यापार

मसविदाकर्ता– शिव प्रकाश चतुर्वेदी, एडवोकेट
कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी

टाइप कर्ता– ओशो कम्प्यूटर्स
कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी

3137
15-6-18

S/ सुभाष कुमार यादव
कालिया, वाराणसी

शंकर स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कचहरी-वाराणसी
ला० नं०-16/24

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 215 के पृष्ठ 71 से 98 तक क्रमांक 199 पर दिनाँक 15/06/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरविन्द कुमार सिंह (प्रभारी)
उप निबंधक सदर द्वितीय
वाराणसी

उप निबंधक रजिस्ट्रार द्वितीय वाराणसी-जिला-वाराणसी उत्तर प्रदेश